न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा0 पत्र अवमानना संख्या 85/2016 बउनवानी रमेश चन्द वगै.बनाम (भूमि अवाप्ति अधि.)
आरसीएमएस संख्या 2016/00325 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.ता अहकमा जो हुकम की तामील में जारी हुआ
30.10.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि इस अवमानना प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण को लेकर एक अवमानना प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय में भी पेश किया है जो मुकदमा संख्या 16/2017 पर दर्ज रजिस्टर होकर वर्तमान मे जैरकार जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.11.2019 नियत है। उक्त प्रकरण में दिनांक 28.2.2019 को अप्रार्थी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी थी जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.9.2019 को अपास्त कर अप्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिया गया है। उक्त प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य अप्रार्थी जैरकार है। यह तर्क भी दिया कि यह अवमानना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के दीवानी प्रकरण संख्या 2/13 उनवानी रमेश चन्द बनाम वगै. बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपजिला कलेक्टर) सवाईमाधोपुर मे पारित निर्णय दिनांक 20.1.2015 की पालना नही करने के क्रम में पेश किया गया है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.4.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को प्रकरण संख्या 2/13 को पुनः रेस्टोर किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है। जो वास्ते तलवी विपक्षीगण जैरकार है जिसमे आगामी तारीख पेशी 5.11.2019 नियत है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा एक ही आदेश के विरूद्व दो–दो न्यायालयों मे अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। जबकि एक प्रकरण मे किसी भी एक न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। चूंकि उक्त प्रकरण संख्या 2/13 मे पारित निर्णय दिनांक 20.1.2015 के संबंध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय मे अवमानना प्रार्थना पत्र वर्तमान में जैरकार है इसलिए श्रीमान के न्यायालय मे जैरकार उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ है अब प्रार्थी को साक्ष्य हेतु तलब किया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना उचित होगा। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय में भी प्रकरण संख्या 2/13 मे पारित निर्णय दिनांक 20.1.2015 की पालना	

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी द्वारा नही किये जाने पर अवमानना प्रार्थना पत्र दायर किया है जो वर्तमान में प्रकरण संख्या 16/17 पर दर्ज है तथा आगामी पेशी 5.11.2019 नियत है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के बाद संबंधित मिसल का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 2/13 मे पारित निर्णय दिनांक 20.1.2015 की पालना करवाये जाने बाबत माननीय सिविल न्यायालय एवं इस न्यायालय मे अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण एक प्रकरण मे दोनो न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त करना चाहते है जो न्यायोचित नही है। चूंकि माननीय सिविल न्यायालय मे अवमानना प्रकरण संख्या 16/17 जैरकार है जिसमे मेरिट पर निर्णय किया जाना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.18 15:09:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: